5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES CANCELLED

104

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी 1593-I-15

B.O.R. 9.6.15

- 8 JUN 2015

203
09-06-16

1- मुरारीलाल पटेल पिता नंदराम पटेल

2- राजेन्द्र पटेल पिता नंदराम पटेल

निवासी सूबेदार वार्ड सागर तहसील

व जिला सागर म०प्र० --- आवेदकगण

विरुद्ध

1- खेमचन्द पिता कुंजलाल पटेल

निवासी सूबेदार वार्ड सागर तहसील व जिला सागर

2- नंदराम पिता कुंजलाल पटेल

निवासी शिवाजी वार्ड लोकप्रिय अस्पताल के पीछे

रिमझिरिया तहसील व जिला सागर --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता/आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के अपील प्रक०क्रमांक 474/अ6/वर्ष 12-13 में पारित आदेश दिनांक 22-5-2015 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर निगरानी याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि मौजा सागर खास स्थित भूमि पट०ह०नं० 77/65 तहसील व जिला सागर के खसरा नंबर 310/2, 310/3, 311/3 एवं 311/2 रकबा क्रमशः 0-27, 0-05, 0-02, एवं 0-08 कुल रकबा 0-22 एकड़ भूमिस्वामी हैसियत से कुंजलाल पटेल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। कुंजलाल पटेल ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 9-4-1959 को श्रीकृष्ण सेठ से शामलाती में क्रय की थी, और क्रयशुदा भूमि पर 3-12-1959 को

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... निग. 1593-I/15 .... जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.9.16.	1— आवेदकगण की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से अधिवक्ता अर्जुन पटैल उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त संभाग सागर के प्र.क्र. 474/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 22–05–15 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि मौजा सागर खास स्थित भूमि खसरा नंबर 310/2, 310/3 एवं 311/2 कुल रकवा 0.42 एकड़ भूमि स्वामी की हैसियत से ब्रजलाल पटेल के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, आवेदकगण की सेवा खुशामद से प्रसन्न होकर श्री ब्रजलाल पटेल ने अपनी उक्त भूमि रजिस्टर्ड वसीयतनामा दि. 27.03.2008 द्वारा आवेदकगण के पक्ष में अंतरित कर दी थी। जिनकी मृत्यु दिनांक 15.12.2008 को होने पर आवेदकगणों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 109, 110 के तहत निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर नाम दर्ज किए जाने हेतु मूल वसीयत की प्रति एवं साक्षीगण राजेन्द्र पटेल, प्रभुदयाल विश्वकर्मा, परसुराम विश्वकर्मा तथा वसीयतनामा लेखक आर.डी. सोनी अधि. की साक्ष्य प्रस्तुत की जिसे परिक्षण एवं प्रतिपरिक्षण के पश्चात प्रमाणीकरण कराए जाने के उपरांत भी विचारण न्यायालय द्वारा उसे संदिग्ध परिस्थितियों में लेख किया गया, मान्य करते हुए आदेश दि.15.10.12 पारित किया है जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उन्होंने वसीयतनामा साक्षियों द्वारा प्रमाणित होने एवं निष्पादित वसीयत में वसीयतकर्ता ब्रजलाल पटेल ने एक अन्य भूमि अपने बड़े लड़के खेमचंद के नाम से क्रय कर उसे दिए जाने का उल्लेख किया है तथा निष्पादित रजिस्टर्ड वसीयतनामा पूर्ण होशोहवास एवं स्वस्थ्य चित्त अवस्था में निष्पदित किया जाना पाया है उन्होनें पूर्ण व्याख्या करते हुए आदेश दि. 06.04.13 पारित किया था किंतु अपर आयुक्त सागर द्वारा उसे निरस्त किए जाने से यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।	

[कृ. प. उ.

3– अनावेदक की ओर मुख्यतः यह आधार लिया है कि खेमचंद एवं नंदराम वसीयतकर्ता के पुत्र होने से उनके पिता की भूमि समान भाग में वारसान नामांतरण विचारणं न्यायालय द्वारा किया था निष्पादित वसीयतनामा के साक्षियों द्वारा प्रतिपरिक्षण में संदिग्ध होने की पुष्टि विचारण न्यायालय के समक्ष की गई है। इसी आधार पर अपर आयुक्त सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है इस कारण उन्होने पारित आदेश स्थिर रखते हुए निग. निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है।

4– आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड एवं आदेश तथा वसीयतनामा की मूल प्रति का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि निष्पादित वसीयत रजिस्टर्ड पंजीकृत दस्तावेज है जिसमें ब्रजलाल पटेल ने अपनी स्वअर्जित भूमि रकवा 0.42 एकड़ आवेदकगण के पक्ष में निष्पादन किया है जो अनावेदक क्र.2 के पुत्र है तथा निष्पादित वसीयतनामा में अनावेदक क्र.1 खेमचंद को 0.36 एकड़ जमीन उसके हिस्से की उसे दिए जाने का उल्लेख रजिस्टर्ड वसीयत में किया जाना पाया जाता है इस प्रकार वसीयतकर्ता ब्रजलाल पटेल ने अपने दोनों पुत्रों को पृथक–पृथक जमीन देते हुए रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित किया है अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा वसीयत के साक्षी एवं वसीयत लेखक द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के आधार पर वसीयतनामा को वेद्य मान्य कर नामांतरण के निर्देश दिए है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। निष्पादित वसीयतनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से उसकी संदिग्धता की जांच राजस्व न्याय. द्वारा नहीं की जा सकती है इस कारण अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश वैद्य नहीं पाता हूँ।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 एवं तहसीलदार सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.10.2012 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2013 स्थिर रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड वापिस किये जाकर प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य